

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 4(2) आ.प्र एवं स.आ./पेयजल / 2009-10/3995- जयपुर दिनांक 26/4/10
जिला कलेक्टर, 10.038

अजमेर, अलवर, बासवाडा, बाडमेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिराही, टोंक, उदयपुर एवं प्रतापगढ़।

विषय :- अभाव संवत् 2066 में अकाल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन
पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा-निर्देश।
प्रसंग :- विभाग का पत्रांक 7713-52 दिनांक 05.04.10

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा अभाव संवत् 2066 में अकाल प्रभावित
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत
दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पेयजल परिवहन का कार्य
ग्राम पंचायतों द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित दरों पर करवाया जा सकेगा तथा
ग्राम पंचायतों पेयजल परिवहन के बिलों को प्राप्त कर एवं सत्यापन कर संबंधित तहसील
कार्यालय को भिजवायेगी। जहां से आपूर्तिकर्ता फर्म/व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर
पेयजल परिवहन का भुगतान नियमानुसार परीक्षण कर अकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से
किया जावेगा। ग्राम- पंचायतों के माध्यम से भुगतान करने की इसमें आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

24/4/10
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।


शासन उप सचिव